

## **Check list of Document (आवेदक के लिए)**

### **इकाई के पुनःअवस्थापना के मामलों में**

1. इकाई का जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र। यदि जी0एस0टी0 नहीं है तो आवेदक/साझेदारों के शपथ पत्र
2. इकाई का लाइसेंस
3. सी0ई0सी0 के अनुसार इकाई की श्रेणी (I/II/III/IV)
4. लाइसेंस का विवरण अर्थात वर्तमान लाइसेंसधारक का नाम, पिता का नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, फोटो आई0डी0 तथा आई0डी0 संख्या, फर्म का नाम, हार्स पावर
5. लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का विवरण अर्थात वर्ष, नवीनीकरण शुल्क की धनराशि जो जमा की गयी। ई-3 रसीद संख्या व दिनांक, अन्य प्रतिकर इत्यादि जो जमा किया गया, वन प्रभाग का नाम जहां पर शुल्क जमा किया गया।
6. आवेदक/समस्त साझेदारों के डिजिटल फोटो
7. आवेदक/समस्त साझेदारों के फोटो आई0डी0 संख्या सहित
8. भूमि का प्रकार— (म्यूनिसिपल एरिया तथा इण्डस्ट्रीयल एरिया से अलग मामलों में)
  - (a) निजी भूमि
  - (b) किराये की भूमि
  - (c) लीज पर
  - (d) अन्य (यदि कोई हो तो विवरण दें)
9. आवेदक/समस्त साझेदारों के शपथ पत्र जिसमें इकाई स्थापित की जाने वाले भूमि के प्रकार के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण अंकित हो तथा स्पष्ट उल्लेख हो कि प्रश्नगत इकाई किस गाटा नम्बर/प्लॉट नम्बर, ग्राम/कस्बा, तहसील, थाना, जिला में पुनःस्थापित किया जाना है तथा यह अंकित हो कि पुनःअवस्थापना वाले स्थल पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
10. पुनःअवस्थापना स्थल का नजरी नक्शा
11. विनियर/प्लॉटवुड के मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा यह अनापत्तियों प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिये गये आवेदन की प्राप्ति रसीद एवं आवेदक का शपथ पत्र जिसमें यह स्पष्ट अंकित हो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र इकाई संचालन के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
12. म्यूनिसिपल एरिया में पुनःअवस्थापना के मामलों में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र/अभिलेख
13. औद्योगिक एरिया में पुनःअवस्थापना के मामलों में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र/अभिलेख
14. आवेदक/समस्त साझेदारों के अथवा परिवार के सदस्यों के विरुद्ध वन अपराध का केस लम्बित नहीं होने के सम्बन्ध में आवेदक/समस्त साझेदारों के शपथ पत्र
15. फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन का अभिलेख